भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3835

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

हसदेव वन में कोयला खनन

3835. श्री राजा राम सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हसदेव वन में कोयला खनन कार्यों से इस क्षेत्र की जैव-विविधता और वन क्षेत्र को अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति न हो, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार स्थानीय मूल निवासियों और जनजातीय समुदायों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार कर रही है जिनकी भूमि और आजीविका हसदेव वन में कोयला खनन गतिविधियों से प्रभावित हो रही है;

(ग) वन्य जीव गलियारों, विशेषकर हसदेव वन में लेमरू हाथी रिजर्व पर कोयला खनन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या विशिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(घ) हसदेव वन में चल रही कोयला खनन परियोजनाओं के लिए किए गए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार, विशेषकर हसदेव वन में, कोयला खनन और जलवायु कार्रवाई और वन संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बीच किस प्रकार संतुलन बनाने की योजना बना रही है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार, कोयला मंत्रालय के माध्यम से, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हसदेव वन क्षेत्र में सभी कोयला खनन गतिविधियाँ पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से की जाएँ। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रही है कि कोयला खनन कार्य न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ संचालित किए जाएँ और जैव विविधता और वन क्षेत्र की उचित सुरक्षा हो। कोई भी नई कोयला खान खोलने और 5 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टा क्षेत्र वाली विस्तारित कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना

अनिवार्य है। यदि परियोजना में वन भूमि शामिल है, तो कोई भी नई कोयला खान खोलने के लिए वानिकी मंज़ूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। खनन योजना, ईसी और एफसी अनुमति के अनुसार खनित क्षेत्र का जैविक रूप से पुनरूद्धार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जैविक पुनरूद्धार के दौरान देशी पौधे और झाड़ियाँ उगाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। एमओईएफएंडसीसी तथा राज्य वन विभाग पुनरूद्धारित खान क्षेत्र का तिमाही निरीक्षण करता है। परियोजना प्रस्तावक एमओईएफएंडसीसी, राज्य वन विभाग तथा प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक रिर्टन प्रस्तुत करता है।

(ख) : सरकार स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिनकी भूमि और आजीविका कोयला खनन गतिविधियों से प्रभावित हो रही है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम), 2013 को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण के लिए मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया बनाना है, जिससे भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी हो। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार जिन प्रभावित परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है अथवा जो ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित हैं, उन्हें उचित और न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) में अधिदेश दिया गया है कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। इस कानून के तहत खनन परियोजनाएं खोलने के लिए ग्राम सभा की सहमति (ग्राम परिषद की मंजूरी) आवश्यक है। प्रभावित परिवारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और खनन परियोजनाओं और संबद्ध उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(ग) : सरकार वन्यजीव गलियारों विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन में लेमरू हाथी रिजर्व के संबंध में कोयला खनन के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय कर रही है। वन मंजूरी प्राप्त करने के एक भाग के रूप में, आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीवन प्रबंधन योजना (डब्ल्यूएलएमपी) तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा, हसदेव क्षेत्र में खनन के लिए वन मंजूरी देते समय एमओईएफएंडसीसी और राज्य वन विभाग द्वारा लगाए गए सभी नियम और शर्तें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) : हसदेव वन क्षेत्र में चल रही सभी कोयला खनन परियोजनाओं, विशेषकर स्थानीय आदिवासी आबादी के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईआईए और एसआईए) संबंधित अधिकारियों के सहयोग से किए जाते हैं। इन आकलनों के बारे में मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) एक सांविधिक प्रक्रिया है, किसी भी खनन परियोजना की मंजूरी से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)

करना अनिवार्य है। इसमें वायु, जल, मिट्टी, वन क्षेत्र और जैव विविधता पर प्रभाव का आकलन करना शामिल है। ईआईए में धूल दमन और जल प्रबंधन प्रणाली, ध्वनि नियंत्रण उपाय, खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करने के लिए पुनर्वनीकरण योजना आदि जैसी विशिष्ट शमन कार्यनीतियाँ भी शामिल हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुरूप, स्थानीय समुदायों, विशेषकर स्थानीय और आदिवासी आबादी पर कोयला खनन के प्रभावों को समझने और उनका समाधान करने के लिए स्थानीय समुदायों के परामर्श से सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) किया जाता है।

परियोजना अनुमोदन से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा ईआईए और एसआईए की समीक्षा की जाती है।

(ङ.) : भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के माध्यम से तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हसदेव वन क्षेत्र सहित सभी कोयला खनन गतिविधियां, कोयला निष्कर्षण और जलवायु/वन संरक्षण प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन के साथ पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तरीके से संचालित की जाएं।

(i) नई खान खोलने अथवा विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। खानों का संचालन ईसी शर्तों का अनुपालन करते हुए किया जाता है, जिससे पर्यावरण संधारणीयता सुनिश्चित होती है।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुपालन में, वन भूमि से जुड़ी परियोजनाओं के मामले में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व वानिकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है।

(iii) पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) और संचालन हेतु सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त की जाती हैं।

(iv) पर्यावरण स्वीकृति, वन स्वीकृति और सहमति शर्तों के अनुपालन में, विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरण संधारणीयता उपाय किए जाते हैं, जिनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है।

****